बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

का०आ०सं० – वि० प्रा० (I) नियुक्ति–03/2017/ /पटना, दिनांक –

आदेश

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक (यांत्रिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक– 1156 दिनांक 07.05.2014 द्वारा निर्धारित अर्हत्ता के अधीन अनुशंसा किये जाने हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को अधियाचना उपलब्ध करायी गई थी।

2. विभागीय अधियाचना के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या– 22/2014 के आलोक में पत्रांक– 182 दिनांक 08.11.2017 द्वारा कुल 73 अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को प्राप्त करायी गई।

3. आयोग से अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों की जाँच विभागीय आदेश ज्ञापांक– 2802 दिनांक 28.11.2017 द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा दिनांक 04.12.2017 को अभ्यर्थियों के समक्ष किया गया। जाँच के क्रम में श्री गौरव अनुक्रमांक– 221038, श्री प्रेम कुमार अनुक्रमांक– 220332 एवं श्री आशुतोष कुमार अनुक्रमांक– 220776 का बी.टेक/एम.टेक की डिग्री विभागीय अधियाचना में निर्धारित अर्हत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया।

4. उपरोक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों के अधियाचना के अनुरूप डिग्री नहीं रहने की स्थिति में इसकी गहन जाँच हेतु कार्यालय आदेश ज्ञापांक– 214 दिनांक 24.01.2018 द्वारा विभागीय स्तर पर विषय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया गया। डिग्री की अनुमान्यता के संबंध में समिति द्वारा गहन समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरान्त समिति द्वारा अपना जाँच प्रतिवेदन सरकार को उपलब्ध कराया गया। समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन में सभी संबंधित अभ्यर्थियों के डिग्री के संबंध में निम्न तथ्य प्रतिवेदित किये गये है :–

I. श्री गौरव अनुक्रमांक– 221038 का बी.टेक विषय Manufacturing Engg. है, जो विभागीय अधियाचना के अनुरूप नहीं है।

II. श्री प्रेम कुमार अनुक्रमांक– 220332 Alternate Hydro energy system विषय से एम.टेक प्राप्त है। एम.टेक का यह विषय विभागीय अधियाचना के अनुरूप नहीं है। साथ ही AICTE की दिनांक 28.04.2017 की अधिसूचना में भी यांत्रिक अभियंत्रण प्रमुख विषय क्षेत्र के लिए एम.टेक डिग्री की प्रासंगिक/उपयुक्त नामावली की सूची में भी नहीं है।

III. श्री आशुतोष कुमार अनुक्रमांक– 220776 का बी.टेक विषय Automobile Engg है जो विभागीय अधियाचना के अनुरूप नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित इन अभ्यर्थियों की बी. टेक/एम.टेक डिग्री विभागीय अधियाचना में निर्धारित अर्हत्ता के अनुरूप नहीं है। जिस कारण यथाउल्लिखित अभ्यर्थी सहायक प्राध्यापक (यांत्रिक) के पद पर नियुक्त किये जाने योग्य नहीं है।

अतएव सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इन तीनो अभ्यर्थियों की बी.टेक/एम.टेक डिग्री विभागीय अधियाचना के अनुरूप नहीं रहने की स्थिति में सहायक प्राध्यापक (यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु अयोग्य पाया गया। इस कारण यथाउल्लिखित अनुशंसित अभ्यर्थियों की सहायक प्राध्यापक (यांत्रिक) के पद की उम्मीदवारी समाप्त की जाती है।

ह०/–

सरकार के विशेष सचिव,

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) नियुक्ति–03/2017/ 955 **/पटना, दिनांक–** 11-4-2018

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमत्री, बिहार के प्रधान सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्राचार्य, सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सभी पदाधिकारियों एवं आई० टी० मैनेजर, (विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/4/18

सरकार के विशेष सचिव

11/04/18

पप्पु/26.03.18